



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

प्रयागराज, मंगलवार, 20 जून, 2023 ई०  
(आषाढ 30, 1945 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश, शासन

ऊर्जा विभाग

[ ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

संख्या : उ०प्र०वि०नि०आ०/सचिव/विनियमावली/001  
लखनऊ, दिनांक : 20 जून, 2023 ई०

#### अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(1) एवं 181 (2) (जेडपी) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

#### 1- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-

1.1-यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियमावली, 2023 कही जायेगी।

1.2-यह विनियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

#### 2- परिभाषाएँ-

2.1-इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(अ) "अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(ब) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(स) "विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम" का तात्पर्य केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2022 से है और "विचलन व्यवस्थापन शुल्क" का वही अर्थ है जो उसमें दिया गया है;

(द) "मॉनिटरिंग समिति" का तात्पर्य आयोग द्वारा गठित समिति जिसका उद्देश्य परियोजनाओं/योजनाओं की संवीक्षा (तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन) और प्राथमिकता तय करना, परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति देना, पीएसडीएफ से निधियों को रिलीज करना और परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समग्र पर्यवेक्षण और निगरानी करना है;

(य) "नोडल एजेंसी" का तात्पर्य इस विनियमावली के विनियम 5 के तहत नामित एजेंसी से है;

(र) "विद्युत प्रणाली विकास निधि" अथवा "पीएसडीएफ" का अर्थ इस विनियमावली के विनियम 3 के तहत गठित फंड से है;

(ल) "प्रोजेक्ट इकाई" का तात्पर्य उस एजेंसी/इकाई से है जो पीएसडीएफ से परियोजना/योजना के वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती है और इसमें राज्य विद्युत समिति (एसपीसी), उत्तर प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (यूपीएसएलडीसी), राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू), वितरण यूटिलिटीज, उत्पादक कंपनियों शामिल होंगी;

(व) "रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार" का वही तात्पर्य है जो राज्य ग्रिड कोड में दिया गया है;

(श) "राज्य विचलन पूल खाता" का तात्पर्य राज्य ग्रिड कोड/यूपीईजीसी के तहत परिभाषित राज्य यूआई (अब डीएसएम) पूल खाता, साथ ही यूपीईआरसी (पूर्वानुमान, अनुसूची, विचलन व्यवस्थापन और सौर और पवन उत्पादन स्रोतों के संबंधित मामले) विनियम, 2018 के तहत परिभाषित राज्य पूल खाते से है;

(ष) "राज्य ग्रिड कोड" या "यूपीईजीसी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (एच) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड से है।

2.2—उपर्युक्त को रक्षित करते हुये एवं जब तक कि संदर्भ के असंगत न हो, इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या आयोग द्वारा उसके तहत बनाये गये विनियमावली में परिभाषित हो, का वही अर्थ होगा जो उनके लिये अधिनियम या विनियमावली में दिया गया है।

2.3—किसी भी अधिनियम, नियम, विनियम या दिशानिर्देशों के संदर्भ में उनमें संशोधन या समेकन या पुनः अधिनियमन शामिल होगा।

2.4—इस विनियमावली के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण के बीच व्याख्या के अन्तर की स्थिति में अंग्रेजी व्याख्या प्रवृत्त होगी।

### 3—विद्युत प्रणाली विकास निधि का गठन—

3.1—यूपीएसएलडीसी द्वारा "विद्युत प्रणाली विकास निधि" या "पीएसडीएफ" नामक एक फंड का गठन, रख-रखाव और संचालन किया जायेगा और निम्नलिखित राशियाँ उसमें जमा की जायेगी—

(अ) विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार दावों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद "राज्य विचलन पूल खाते" के क्रेडिट में विचलन व्यवस्थापन प्रभार।

(ब) राज्य ग्रिड कोड के अनुसार दावों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद "राज्य रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार खाता" के क्रेडिट में रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार।

(स) ऐसे अन्य शुल्क जो आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

3.2—उपरोक्त विनियम 3.1 के खंड (अ) से (स) के तहत राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत एजेंसियों द्वारा इन खातों में अंतर्राज्यीय संस्थाओं और एनआरपीसी को शुल्क के भुगतान के लिए उचित समझी जाने वाली पर्याप्त मात्रा का प्रावधान रखने के बाद, तिमाही आधार पर इन राशियों को पीएसडीएफ के क्रेडिट में स्थानांतरित करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इन खातों में समेकित हुई और इन विनियमों के जारी होने तक पीएसडीएफ में स्थानांतरित नहीं की गई राशि, इस विनियमन में परिकल्पित पर्याप्त मात्रा के प्रावधान पर विचार करने के बाद पीएसडीएफ में स्थानांतरित की जायेगी।

3.3—इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, आयोग नोडल एजेंसी के प्रस्ताव के आधार पर समय-समय पर एक आदेश के माध्यम से पीएसडीएफ के क्रेडिट में स्थानांतरण से पहले उपरोक्त विनियम 3.1 के खंड (अ) से (स) के तहत संबंधित खातों में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि पर निर्णय ले सकता है।

#### 4—विद्युत प्रणाली विकास निधि का उपयोग—

4.1—पीएसडीएफ का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जायेगा—

(अ) अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली में संकुलन से राहत के लिए यूपीएसएलडीसी या एसटीयू द्वारा परिचालन प्रतिपुष्टि के आधार पर आवश्यक पारेषण प्रणाली बनाना;

(ब) ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए शंट कैपेसिटर, श्रृंखला कम्पनसेटर और अन्य रिएक्टिव ऊर्जा जनरेटर की स्थापना;

(स) मानक और विशेष सुरक्षा योजनाओं की स्थापना और अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली में सुरक्षा ऑडिट में पहचानी गई विसंगतियों को ठीक करना;

(द) उपरोक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में कोई अन्य परियोजना/योजना जैसे क्षमता निर्माण, ग्रिड प्रबंधन, सहायक सेवायें, तकनीकी अध्ययन, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पायलट और प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं जिनमें ऊर्जा भंडारण प्रणाली, वर्चुअल ट्रांसमिशन सम्मिलित हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं या जैसा कि आयोग एक आदेश के माध्यम से उपलब्ध कराये।

4.2—पीएसडीएफ से प्राप्त धनराशि का उपयोग उपरोक्त विनियम 4.1 के तहत शामिल की गई गतिविधियों में वितरण यूटिलिटीज और उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है, जो अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए प्रासंगिक हैं और ग्रिड सुरक्षा और बचाव पर असर डालते हैं, बशर्ते कि ये परियोजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

4.3—पीएसडीएफ से परियोजना/योजना का वित्तपोषण रु0 20 करोड़ की सीमा या ऐसी राशि जो आयोग द्वारा प्रस्तावित परियोजना/योजना की आवश्यकता पर विचार करते हुए उपयुक्त समझी जाये के अधीन होगा।

4.4—पीएसडीएफ से प्रोजेक्ट इकाईयों को परियोजनाओं/योजनाओं के लिए धन अनुदान के रूप में दिया जायेगा।

4.5—यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में टैरिफ का दावा पीएसडीएफ से अनुदान के हिस्से के लिए नहीं किया गया है, ऐसी अनुदान राशि परियोजना/योजना की पूंजी लागत से कम की जायेगी।

4.6—परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी देने और पीएसडीएफ से फंड जारी करने की प्राथमिकता परियोजना/योजना के महत्व और इसमें शामिल फंड की मात्रा के आधार पर की जायेगी, जो मुख्य रूप से विनियम 4 में परिभाषित सिद्धांतों के साथ ग्रिड सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने या राज्य के महत्व के मानदंड पर हो सकती है।

4.7—निजी क्षेत्र की परियोजनाएं/योजनाएं पीएसडीएफ से सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।

**5-नोडल एजेंसी और उसके कार्य-**

5.1-उत्तर प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (यूपीएसएलडीसी) पीएसडीएफ के तहत परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इन नियमों में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए नोडल एजेंसी होगी।

5.2-नोडल एजेंसी निम्नलिखित कार्य करेगी-

(अ) पीएसडीएफ से किये गये लेन-देन का रिकॉर्ड रखना;

(ब) कार्यान्वयन और संचालन स्तर पर परियोजनाओं या योजनाओं की निगरानी करना और प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना;

(स) मॉनिटरिंग समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित पीएसडीएफ के प्रबंधन एवं पीएसडीएफ से आहरण एवं संवितरण के लिए प्रक्रिया तैयार करना;

(द) मॉनिटरिंग समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित बजट, लेखांकन और लेखापरीक्षा की तैयारी के लिए प्रक्रिया तैयार करना;

(य) पीएसडीएफ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;

(र) इसकी वेबसाइट पर प्रक्रियाएँ, प्रारूप, सारांश स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज अपलोड करना; और

(ल) ऐसे अन्य कार्य करना जो आयोग/मॉनिटरिंग समिति द्वारा उसे सौंपे जाये।

**6-मॉनिटरिंग समिति-**

6.1-प्रबंध निदेशक यूपीएसएलडीसी की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति होगी जिसमें निदेशक (वित्त) यूपीएसएलडीसी, निदेशक (संचालन) एसटीयू, निदेशक (वितरण) उप्रपाकालि, निदेशक (तकनीकी) उप्रराविउनिलि सदस्य के रूप में एवं मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक एवं व्यवस्थापन) यूपीएसएलडीसी इसके सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग यदि उचित समझे तो इन विनियमों के तहत एक आदेश के माध्यम से मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन कर सकता है।

6.2-मॉनिटरिंग समिति निम्नलिखित कार्य करेगी-

(अ) पीएसडीएफ से वित्त पोषण के लिए परियोजना/योजना प्रस्तावों की संवीक्षा (तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन) और प्राथमिकता तय करना;

(ब) परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी देना;

(स) पीएसडीएफ से धनराशि जारी करना;

(द) परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन का समग्र पर्यवेक्षण और निगरानी करना;

(य) कोई भी अन्य कार्य जो आयोग द्वारा विशेष रूप से उसे सौंपा जा सकता है या इन विनियमों के तहत अपनी भूमिका के सुचारु कार्यान्वयन के लिए निर्वहन किया जाना आवश्यक हो सकता है।

**7-पीएसडीएफ के आवेदन, संवीक्षा, प्राथमिकता और मंजूरी की प्रक्रिया-**

7.1-प्रोजेक्ट इकाई अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगी। प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना/योजना के दायरे और उद्देश्यों और इन विनियमों में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुरूपता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जायेगा। प्रस्ताव में तकनीकी अध्ययन द्वारा समर्थित विस्तृत औचित्य के साथ-साथ लागत लाभ विश्लेषण और कार्यान्वयन के संभावित चरण और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे।

7.2—नोडल एजेंसी प्रोजेक्ट इकाई से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगी और उक्त प्रस्ताव को इन विनियमों के तहत विचार के लिए मॉनिटरिंग समिति के समक्ष रखेगी।

7.3—मॉनिटरिंग समिति पीएसडीएफ से वित्त पोषण के लिए परियोजना/योजना प्रस्ताव की प्राथमिकता और संवीक्षा (तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन) करेगी और यदि ऐसी परियोजना/योजना इन विनियमों में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुरूप है, तो अपनी सिफारिश उस प्रोजेक्ट इकाई को जिसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है को, संज्ञानित करते हुए नोडल एजेंसी को सूचित करेगी। पीएसडीएफ में धन की उपलब्धता पर पीएसडीएफ से वित्त पोषण के लिए संवीक्षा एवं प्राथमिकता दिये गये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा प्रस्ताव इन विनियमों में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है तो मॉनिटरिंग समिति लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

7.4—नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना/योजना इन विनियमों के दायरे में आती है, मॉनिटरिंग समिति की सिफारिशों सहित सम्पूर्ण प्रस्ताव के साथ आयोग से संपर्क करेगी।

7.5—आयोग, नोडल एजेंसी से ऐसा संदर्भ प्राप्त होने पर—

(अ) ऐसे संशोधनों या शर्तों के साथ प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करना जैसा कि आयोग उचित समझे; या

(ब) लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार करना; या

(स) नोडल एजेंसी द्वारा ऐसे विवरणों के साथ और ऐसे कारणों पर विचार करने के बाद एक नया आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जैसा कि आयोग निर्देशित करे।

7.6—विनियम 7.5 के खंड (अ) के तहत आयोग से सूचना प्राप्त होने के बाद, नोडल एजेंसी पीएसडीएफ से धनराशि की मंजूरी के लिए मॉनिटरिंग समिति से संपर्क करेगी। मॉनिटरिंग समिति पीएसडीएफ से धनराशि स्वीकृत करेगी।

7.7—मॉनिटरिंग समिति की स्वीकृति के आधार पर कार्यान्वयन की योजना और वास्तव में प्राप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए नोडल एजेंसी प्रोजेक्ट इकाई को संवितरण के लिए चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पीएसडीएफ से आहरण और संवितरण को विनियमन 5.2 के खंड (द) के तहत तैयार की गई प्रक्रिया और आयोग के मौजूदा निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

7.8—पीएसडीएफ से सहायता प्राप्त करने वाली प्रोजेक्ट इकाई को अपने लेखापरीक्षित खातों में पीएसडीएफ के लिए अलग-अलग खातों का शीर्षक रखना होगा।

## 8—परिसंपत्तियों का निष्पादन, संचालन और रख-रखाव—

प्रोजेक्ट इकाई परियोजना/योजना के निष्पादन के साथ-साथ संचालन एवं रख-रखाव के लिए उसके उपयोगी जीवन के दौरान जिम्मेदार होगी। ऐसी परियोजना/योजना का संचालन और रख-रखाव पीएसडीएफ का हिस्सा नहीं होगा और आयोग के संबंधित टैरिफ विनियमों के अनुसार संचालन किया जायेगा।

## 9—निष्पादन चरण के दौरान निगरानी—

नोडल एजेंसी संबंधित प्रोजेक्ट इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर, निष्पादन चरण के दौरान स्वीकृत परियोजना/योजना की प्रगति की निगरानी से संबंधित कार्य करेगी, जैसे :

(i) स्वीकृत परियोजना/योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की मासिक आधार पर निगरानी करना;

(ii) त्रैमासिक आधार पर आयोग को सूचित करते हुए मॉनिटरिंग समिति को प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों, यदि कोई हो, के साथ स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

**10—वार्षिक रिपोर्ट—**

नोडल एजेंसी पीएसडीएफ की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें वर्ष के दौरान शुरू की गई अन्य परियोजनाओं या योजनाओं के साथ-साथ बैलेंस शीट और अलग-अलग लेखा परीक्षित खाते भी शामिल होंगे और इसे मॉनिटरिंग समिति और आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा।

**11—बजट, खाते और अन्य रिकॉर्ड तैयार करना—**

बजट की तैयारी, पीएसडीएफ से प्राप्तियों/वितरण का लेखा-जोखा, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, ऑडिट आदि विनियमन 5.2 के तहत तय की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

**12—कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ—**

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकता है जो अधिनियम और उसके तहत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों से असंगत न हों एवं जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

**13—शिथिलीकरण की शक्ति—**

आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, और प्रभावित होने की संभावना वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को स्वयं या प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर शिथिल कर सकता है।

**14—आयोग की अंतर्निहित शक्तियाँ—**

इन विनियमों में शामिल कुछ भी आयोग की अंतर्निहित शक्तियों को ऐसी प्रक्रिया अपनाने से सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, मामले की विशेष परिस्थितियों या मामलों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया से हटना आवश्यक या समीचीन समझता है।

आज्ञा से,  
(शैलेन्द्र गौर)  
सचिव।

**ELECTRICITY DEPARTMENT****UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION LUCKNOW****No. UPERC/Secy./Regulation/001***Lucknow: Dated : June 20, 2023***NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred under Sections 181(1) and 181(2)(zp) of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short Title and Commencement:**

- 1.1 These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2023.
- 1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:**

2.1 In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003;
- (b) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC);
- (c) "Deviation Settlement Mechanism Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 and "Deviation Settlement Charges" has the same meaning as assigned therein;
- (d) "Monitoring Committee" means the Committee constituted by the Commission for the purpose of scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of projects / schemes, sanctioning of projects / schemes, release of funds from PSDF and overall supervision and monitoring of the implementation of projects / schemes;
- (e) "Nodal Agency" means the agency as designated under Regulation 5 of these regulations;
- (f) "Power System Development Fund" or "PSDF" means the funds constituted under Regulation 3 of these regulations;
- (g) "Project Entity" means the agency / entity that submits proposal for funding of project / scheme from PSDF and shall include State Power Committee (SPC), Uttar Pradesh State Load Dispatch Centre (UPSLDC), State Transmission Utility (STU), Distribution Utilities, Generating Companies;
- (h) "Reactive Energy Charges" has the same meaning as assigned to it in the State Grid Code;
- (i) "State Deviation Pool Account" means the State UI (now DSM) Pool Account as defined under State Grid Code/UPEGC together with State Pool Account as defined under UPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and Related Matters of Solar and Wind Generation Sources) Regulations, 2018.
- (j) "State Grid Code" or "UPEGC" means the State Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act.

2.2 Save as aforesaid and unless repugnant to the context, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the regulations made thereunder by the Commission, shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the regulations.

2.3 Reference to any Act, Rules, Regulations or Guidelines shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

**3. Constitution of the Power System Development Fund:**

3.1 A fund named "Power System Development Fund" or "PSDF" shall be constituted, maintained and operated by UPSLDC and the following amounts shall be credited thereto:

- (a) Deviation Settlement Charges standing to the credit of the "State Deviation Pool Account" after final settlement of claims in accordance with Deviation Settlement Mechanism Regulations.
- (b) Reactive Energy Charges standing to the credit of "State Reactive Energy Charges Account" after final settlement of claims in accordance with the State Grid Code.
- (c) Such other charges as may be notified by the Commission from time to time.

3.2 The agencies, authorized to collect the amounts under clauses (a) to (c) of Regulation 3.1 above, shall transfer these amounts to the credit of PSDF, on quarterly basis, after keeping provision of adequate

amounts as considered appropriate by such agencies in these accounts for payment of charges to intra-State entities and NRPC.

Provided that the amounts lying accumulated in these accounts and not transferred to PSDF till the issue of these regulations, shall be transferred to PSDF after considering provision of adequate amounts as envisaged in this regulation.

- 3.3 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission through an order may from time to time decide on the basis of the proposal of the Nodal Agency, upon minimum amounts to be maintained in respective accounts under clauses (a) to (c) of Regulation 3.1 above before transfer to the credit of PSDF.

#### **4. Utilization of the Power System Development Fund:**

- 4.1 PSDF shall be utilized for funding of projects / schemes for creation of necessary infrastructure for the following purposes:

- (a) Creating necessary transmission systems based on operational feedback by UPSLDC or STU for relieving congestion in intra-State transmission system;
- (b) Installation of shunt capacitors, series compensators and other reactive energy generators for improvement of voltage profile in the Grid;
- (c) Installation of standard and special protection schemes and setting right the discrepancies identified in the protection audits in intra-State transmission system; and
- (d) Any other project / scheme in furtherance of the above objectives such as capacity building, grid management, ancillary services, conducting technical studies, pilot and demonstrative projects on new and emerging technologies including but not limited to energy storage system, virtual transmission or as provided by the Commission through an order.

- 4.2 Funds from PSDF may also be utilized for the projects proposed by the distribution utilities and generating companies in the activities covered under Regulation 4.1 above, which are incidental to intra-State transmission system and have a bearing on grid safety and security, provided that these projects are not covered under any other scheme of the Government of India or State Government.

- 4.3 The funding of project / scheme from PSDF shall be subject to the ceiling of Rs. 20 Crore or such amount as considered deem fit by the Commission considering need of proposed project / scheme.

- 4.4 The funding for projects / schemes from PSDF to the project entities shall be in the form of grant.

- 4.5 To ensure that the tariff in respect of such projects / schemes is not claimed for the portion of the grant from PSDF, such grant amount shall be reduced from capital cost of the project / scheme.

- 4.6 Prioritization for sanctioning of projects / schemes and release of fund from PSDF shall be done based upon importance of the project / the scheme and quantum of fund involved, which may be mainly on the criteria of addressing grid security concerns or being of state importance in line with the principles defined in Regulations 4.

- 4.7 Private sector projects / schemes shall not be eligible for assistance from PSDF.

#### **5. Nodal Agency and its functions:**

- 5.1 Uttar Pradesh State Load Despatch Centre (UPSLDC) shall be the Nodal Agency to undertake the functions as specified in these regulations for implementation of projects / schemes under PSDF.

- 5.2 The Nodal Agency shall perform the following functions:



- (a) Keep a record of business transacted out of PSDF;
- (b) Monitoring of projects or scheme(s) at the execution and operation stage and submission of progress reports etc.;
- (c) Prepare procedure for release & disbursement from PSDF and management of PSDF duly approved by the Monitoring Committee;
- (d) Prepare procedure for preparation of budget, accounting and audit duly approved by the Monitoring Committee;
- (e) Prepare Annual Report of PSDF;
- (f) Upload documents on its website like procedures, formats, summary status, Annual Report etc. and;
- (g) Perform such other functions as may be assigned to it by the Commission/Monitoring Committee.

## **6. Monitoring Committee:**

- 6.1 There shall be a Monitoring Committee under the Chairmanship of the Managing Director UPSLDC with the Director (Finance) UPSLDC, Director (Operation) STU, Director (Distribution) UPPCL, Director (Technical) UPRVUNL as its members and Chief Engineer (Commercial and Settlement), UPSLDC as its Member Secretary.

Provided that the Commission if considers deem fit may reconstitute the Monitoring Committee through an order under these regulations.

- 6.2 The Monitoring Committee shall perform the following functions:
- (a) scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of project/scheme proposals for funding from PSDF;
  - (b) sanctioning of projects/schemes;
  - (c) release of funds from PSDF;
  - (d) overall supervision and monitoring of the implementation of projects/schemes;
  - (e) any other functions as may be specifically assigned to it by the Commission or as may be required to be discharged for smooth implementation of its role under these regulations.

## **7. Procedure for Application, Scrutiny, Prioritization and Sanction of PSDF:**

- 7.1 The project entity shall submit proposal complete in all respects to the Nodal Agency after approval by its Board of Directors. The proposal shall clearly outline the scope and objectives of the proposed project / scheme and its conformity with the principles specified in these regulations. The proposal shall include detailed justification supported by technical studies along with cost benefit analysis and possible phasing of implementation and other relevant details.
- 7.2 The Nodal Agency shall process the proposal received from the project entity and place the said proposal before the Monitoring Committee for consideration under these regulations.
- 7.3 The Monitoring Committee shall undertake scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of project / scheme proposal for funding from PSDF and communicate its recommendation, if such project / scheme is in line with the principles specified in these regulations, to the Nodal Agency under intimation to the project entity who has submitted the proposal. The proposal so scrutinized and prioritized for funding out of PSDF shall be considered upon the availability of funds in PSDF.

Provided that the Monitoring Committee may reject the proposal for reasons to be recorded in writing if such proposal does not conform to the principles specified in these regulations.

- 7.4 The Nodal Agency shall approach the Commission, with complete proposal along with the recommendations of the Monitoring Committee, for ascertaining that the project/scheme is covered within the scope of these regulations.
- 7.5 The Commission shall, on receipt of such reference from the Nodal Agency, shall:
- (a) accord its approval to the proposal with such modifications or conditions as the Commission may deem appropriate; or
  - (b) reject the proposal for reasons to be recorded in writing; or
  - (c) require the Nodal Agency to submit a fresh application with such particulars and after considering such factors as the Commission may direct.
- 7.6 After the receipt of the communication from the Commission under clause (a) of Regulation 7.5, the Nodal Agency shall approach the Monitoring Committee for sanction of the fund from the PSDF. The Monitoring Committee shall sanction the fund from PSDF.
- 7.7 Based on the sanction by the Monitoring Committee, the Nodal Agency shall release the fund in a phased manner for disbursement to the project entity after taking into account the plan of implementation and the progress actually achieved.

Provided that release and disbursement from PSDF will be regulated as per the procedure framed under clause (d) of Regulation 5.2 and the extant instructions of the Commission, if any.

- 7.8 The project entity receiving assistance from PSDF shall maintain separate head of accounts for PSDF in their audited accounts.

## **8. Execution, Operation & Maintenance of the Assets:**

The project entity shall be responsible for the execution as well as operation and maintenance of the project/scheme during its useful life. The operation and maintenance of such project/scheme shall not be part of PSDF fund and shall be governed in accordance with the respective Tariff Regulations of the Commission.

## **9. Monitoring during the execution stage:**

The Nodal Agency shall undertake functions related to monitoring the progress of sanctioned project/scheme during the execution stage, based on the progress report submitted by the concerned project entity, such as:

- (i) monitor the progress of the implementation of the sanctioned project/scheme on monthly basis;
- (ii) submit the status report, along with the proposed remedial measures if any, to the Monitoring Committee under intimation to the Commission on a quarterly basis;

## **10. Annual Report:**

The Nodal Agency shall prepare an Annual Report of the PSDF including among others the projects or schemes undertaken during the year, together with the Balance Sheet and separate Audited Accounts and submit the same to the Monitoring Committee and to the Commission.

## **11. Preparation of Budget, Accounts and other records:**

Preparation of the budget, accounting of receipts/disbursals from PSDF, utilization certificates, audit *etc.* shall be carried out as per the procedure framed under Regulation 5.2.

**12. Powers to Remove Difficulties:**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act and the regulations made thereunder as may appear to be necessary for removing the difficulty in order to achieve the objectives of these regulations.

**13. Power to Relax:**

The Commission may, by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties likely to be affected, may relax any of the provision of these regulations on its own motion or an application made before it by an affected party.

**14. Inherent Powers of the Commission:**

Nothing contained in these Regulations shall limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in these Regulations.

By the Order of the Commission,  
SHAIENDRA GAUR,  
*Secretary.*